



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-03.09.2025

विषय:- “आपरेशन कन्विकशन” के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना मण्डुवाडीह में पंजीकृत पाक्सो एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त शुभनारायण तिवारी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व कुल 5,000/- रु0 का अर्थदण्ड ।

थाना मण्डुवाडीह, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-339/2020 धारा 376 AB, भा0द0वि0 व धारा 5M/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त शुभनारायण तिवारी पुत्र स्व0 रामजी तिवारी निवासी महेशपुर पंचायत भवन थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक मण्डुवाडीह व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप आज दिनांक- 03.09.2025 को माननीय विशेष न्यायालय पाक्सो-II जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त शुभनारायण तिवारी को धारा 5M/6/18 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध में 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा 5,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है । अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भी भुगतान होगा ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।